फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राज0 सरकार बनाम संजय कुमार चोटिया वगै0

किस्म मुकदमा धारा 177 आर.टी.एक्ट मुकदमा न0 48/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादीगण विजय, संदीप कुमार सैन व शिवकुमार शर्मा की ओर से मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादीगण को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। उन्हें मौजुदा वाद में कभी तामिल नोटिस नहीं गया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांनगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त भूमि ख0न0 455 रकबा 7.66 है0 आबादी के बीच में स्थित होने के कारण प्रतिवादीगण ने भी इसका आवासीय उपयोग कर लिया है। प्रतिवादीगण का माननीय राज्य सरकार को सआशय हानि पहुचाने का कोई उद्वेश्य नहीं था बल्कि अज्ञानतावश व भूमि रूपान्तरण नियमों की जानकारी ना होने के कारण आवासीय उपयोग कर लिया गया। प्रतिवादीगण ने वादवर्णित कृषि भूमि का अब रूपान्तरण/संपरिवर्तन करवाना चाहता है तथा इसके लिए राज्य सरकार की मंशा एवं आदेशानुसार जो भी राशि नियत है अदा करने के लिए तैयार है। इसके बाबत प्रतिवदीगण भविष्य में भी पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त भूमि बाबत कानूनन रूप से नियमन की कार्यवाही की जाने बाबत न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। अतः यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया हो एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन की हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान किया हो । दावा गलत पेश होने से खारिज योग्य है। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारीज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारीज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	